



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 11507/2025

तुलसीराम

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – आशीष कुमार दुबे, अरविंद कुमार, प्रमोद कुमार खरे, प्रशांत शेखर, श्रेयांश चंद्रा

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

यह थाना- जयसिंहपुर, जिला- सुल्तानपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 360 वर्ष 2025 अंतर्गत धारा 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3, उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 में संलिप्त प्रार्थी की ओर से दायर प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अनुसार, प्रार्थी पर प्रलोभन देकर विभिन्न व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास का आरोप लगाया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को उस पर अभिकथित आरोपों में झूठा फंसाया गया है। यह निवेदन किया गया है कि उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 के प्रावधान अन्यथा भी प्रार्थी पर लागू नहीं होते हैं, विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 2(क) और (i) के आलोक में, क्योंकि ऐसी किसी भी वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है जो प्रलोभन की परिभाषा के अंतर्गत आती हो और विशेष रूप से इसलिये क्योंकि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उन पर धर्म परिवर्तन कराने वाला व्यक्ति होने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का कोई विगत आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 22.09.2025 से जेल में है। प्रार्थी के जेल से रिहा होने के बाद भाग जाने या अभियोजन साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। वह वचन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि विवादित आदेश के सरसरी अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध धर्म परिवर्तन का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *संजय चंद्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2012) 1 एससीसी 40* में विशेष रूप से यह धारित किया है कि जमानत एक नियम होना चाहिए और एक विचाराधीन कैदी को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान सदा के लिए जेल में होने की आवश्यकता नहीं है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर निम्नवत हैं:—

"21. जमानत आवेदनों में, सामान्य तौर पर, आरंभ से ही यह निर्धारित किया गया है कि जमानत का उद्देश्य जमानत की युक्तिसंगत राशि द्वारा मुकदमे के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक। स्वतंत्रता से वंचित किया जाना एक दंड माना जाना चाहिए, जब तक कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक न हो कि बुलाए जाने पर अभियुक्त अपने मुकदमे का सामना करेगा। न्यायालय इस सिद्धांत के प्रति मौखिक सम्मान से अधिक की ऋणी हैं कि सजा दोषसिद्धि के बाद प्रारंभ होती है, और प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका सम्यक रूप से विचारण न हो जाए और वह सम्यक रूप से दोषी न पाया जाए।"

"27. इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इसने यह भी टिप्पणी की है कि जमानत से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीकृत किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है।"

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन पर, प्रथम दृष्टया, और मुकदमे में प्रस्तुत किये जाने वाले भावी साक्ष्यों के अधीन, यद्यपि प्रलोभन के आधार पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है, किन्तु प्रार्थी से कोई बरामदगी न होने का पक्ष और उसके

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 सहपठित धारा 2(क) और (i) के दायरे में होने का मामला विचारण के स्तर पर विचार करने योग्य होगा, साथ ही इस तथ्य के दृष्टिगत भी कि प्रार्थी दिनांक 22.09.2025 से जेल में है और उसका कोई विगत आपराधिक इतिहास नहीं है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

8. तदनुसार, जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. प्रार्थी- हर्ष मिश्रा को, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 829/ 2025 में संलिप्त है, संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थी अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;

(iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्त(शर्तें) भी आरोपित की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ इस जमानत प्रार्थनापत्र तक ही सीमित हैं और इनका मुकदमे के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

24 मार्च, 2026

श्रवण